निगरानी / एल.आर. / 4996 / 2005 / टोंक
दिनेश जोशी बनाम छोटूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्रीमती ज्योति पारीक, अभिभाषक प्रार्थी श्री वी. पी. सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक : 4–8–2022** **निर्णय** यह निगरानी अतिरिक्त कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 5 / 2001 में पारित निर्णय दिनांक 15–9–2005 के विरूद्ध धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि ग्राम खरेडा स्थित खसरा नंबर 1357 / 2137 / 2 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी छोटूसिंह को दिनांक 5–2–83 को आवंटित की गई थी। उक्त आराजी के नये खसरा नंबर 1612 / 3559 रकबा 0.50हेक्टर वर्तमान में बने और भूमि के बाबत ग्रामवासियों ने जिला कलक्टर को शिकायत की तो जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को उक्त भूमि के बाबत जांच करने हेतु निर्देश जारी किये। जो दिनांक 22–5–2000 के अनुसार जांच में भूमि पेटा तालाबी की होकर डूब के क्षेत्र में आती है। ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं तालाब पेटा की भूमि होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने की मांग की और प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आने वाली भूमि पेटा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तालाब की होने के कारण आवंटन योग्य नहीं होने से आवंटन सार्वजनिक हित में निरस्त किये जाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है और उक्त प्रकरण जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत होने पर ग्रामवासियान की ओर से आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। किन्तु अतिरिक्त कलक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 4–1–2004 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने पर माननीय मण्डल ने पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिनांक 18–5–05 पारित किया। प्रार्थी ने इससे पूर्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 30–3–05 को यह निर्देश प्रदान किये कि उक्त प्रकरण में आराजी भूमि तालाब पेटा होने का कथन किया और यह भी निर्देश दिया कि प्रकरण की शीघ्र से शीघ्र सुनवाई की जावे और तालाब पेटे की भूमि के बाबत निर्देशित किया गया। उनका तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णय के परिपेक्ष्य में पूर्व में भी उक्त आराजी का राजस्व मण्डल तक रेफरेन्स प्रकरण गया था जिस पर राजस्व मण्डल ने विभागीय जांच एवं अन्य जांच की थी और विवादित भूमि तालाब पेटा की भूमि थी जिस पर सेटलमेन्ट के दौरान कर्मचारियों ने तालाब पेटे की भूमि सिवायचक चक थी, को आवंटित भूमि मानकर विपक्षीगण से साज–बाज कर उसके नाम आवंटित करने की सिफारिश कर दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के निर्णयों को सही परिपेक्ष्य में देखे बिना अतिरिक्त कलक्टर ने उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क है कि अतिरिक्त कलक्टर ने निर्णय पारित करते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त आराजी तालाब पेटा भूमि होकर सार्वजनिक हित की भूमि थी जो समस्त ग्रामवासियों व पशुओं के हितार्थ की भूमि थी उक्त तथ्य को सही रूप में देखे बिना निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अतिरिक्त कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय 15–9–2005 पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 15–9–2005 निरस्त किया जावे एवं अप्रार्थी सं.1 को आवंटित तालाब पेटा भूमि के आवंटन को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस में कथन किया कि जिस आवंटन आदेश दिनांक 5–2–83 को निरस्त कराने के लिए तहसीलदार टोडारासिंह ने आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवेदन पेश किया है जिसमें सलाहकार समिति ने आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित है कि– ''ग्राम खरेडा खसरा नम्बर 1352 / 2137 क्षेत्रफल 12 बीघा 16 बिस्वा सिवायचक काबिले काश्त है।.....प्रार्थी का कब्जा पडत 2 बीघा पर है रिर्पोट आवंटन काबिल है।'' जिस पर आवंटन सलाहकार समिति का आदेश है कि–''सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित सदस्यों के परामर्श के अनुसार प्रार्थी श्री छोटूसिंह पुत्र श्री पदमसिंह राजपूत खरेडा को ग्राम खरेडा में सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1357 / 2137 क्षेत्रफल 2 बीघा 10 वर्ष की गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु आवंटित की जाती है।'' इस आवंटन आदेश पर विकास अधिकारी, प्रधान पंचायत समिति, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व सीताराम जोशी तत्कालीन सरपंच ग्राम खरेडा जो रिवीजनर दिनेश जोशी का पिता है के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 5–2–83 की जमाबंदी संवत् 2036 से 2039में अंकित है कि–''जिमन नम्बर 1 राजकीय भूमि, कृषि योग्य भूमि, खाना नम्बर 5 में 1357 / 2137 खाना नम्बर 6	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में 12 बीघा 16 बिस्वा, खाना नम्बर 7 में बन्जड अंकित है तथा आवंटन का नोट अंकित है कि नियमन दिनांक 5–2–83 में 2 बीघा भूमि नमा0 962 छोटूसिंह पुत्र पदमसिंह के नाम नियमन।'' जिससे स्पष्ट है कि आवंटन के दिन आवंटित भूमि पेटा तालाब या नाला नहीं थी तथा गड्डे भी नहीं थे तथा खसरा गिरदावरी से स्पष्ट प्रकट है कि विवादित भूमि 2बीघा पेटा तालाब डूब में कभी नहीं रही है और न है। ऐसे आवंटन को सार्वजनिक हित की भूमि होना प्रदर्शित करके तहसीलदार को आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर टोंक के समक्ष आवेदन पेश करने का वैधानिक अधिकार नहीं था। पत्रावली पर ऐसी विधिक साक्ष्य या राजस्व रिकार्ड तहसीलदार ने या रिवीजनर ने पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि जमाबन्दी में किस्म जमीन बन्जड गलत हो। ऐसी स्थिति में जमाबंदी के अंकन के अनुसार आवंटित भूमि आवंटन के दिन बन्जड काबिले काश्त थी जिसे आवंटन करने में आवंटन सलाहकार ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की है। वार्षिक राजस्व रिकार्ड बाइन्डिग होती है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एआईआर 2001 पेज 644 पेरा नम्बर 11में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। तहसीलदार टोडारासिंह का भू आवंटन नियम 14(4) का आवेदन अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने अस्वीकार किया है। तहसीलदार ने अतिरिक्त कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 15–9–2005 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में रिवीजन पेश नहीं किया है। तहसीलदार के विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर का आदेश दिनांक 15–9–2004 फाईनल आदेश है। अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष रिवीजनर का आवेदन 14 (4) का विचाराधीन नहीं था। रिवीजनर को अतिरिक्त कलक्टर के आदेश दिनांक 15–9–2005 के विरूद्ध यह रिवीजन पेश करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इस विधिक आपत्ति के आधार पर ही रिवीजन अस्वीकार किये जाने योग्य है। यह तथ्य निर्विवादित है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि विवादित भूमि आवंटन के 10साल बाद नियम 18के अन्तर्गत आवंटी के खातेदारी में अंकित हुई है। इस खातेदारी के अंकन को तहसीलदार या ग्राम पंचायत खरेडा, जो निर्वाचित समस्त जनता ग्राम खरेडा की प्रतिनिधि संस्था है, ने विवादित भूमि को उस समय पेटा तालाब व गड्डे होना नहीं बताया है तथा आबादी से सपरिवर्तन के समय ही पंचायत व तहसीलदार ने कथित भूमि सार्वजनिक हित की होना नहीं बताया है। आबादी में सपरिवर्तन आदेश दिनांक 21–5–99 के विरूद्ध भी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की गयी है बल्कि दिनांक 28–8–2000 को ग्राम पंचायत खरेडा की ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि–''तालाब जो ग्राम पंचायत के अधिन है वह इस भूमि से काफी दूर है। तालाब व इनकी भूमि के बीच भूरा पुत्र चन्द्रा खटीक की खातेदारी की भूमि है। ओर सरकारी सिवायचक भूमि है। सिवायचक भूमि से गांव वाले मिटटी खौदते हे जिससे उसमें खडडे हो रह हे। पानी के आव के समाने छोटू सिंह ने जमीन छोड रखी हे जिससे पानी की आव में किसी प्रकार की बाधा नहीं हे। नाले की आव के पश्चिम दिशा में निर्माण कार्य करवाया हे जिसमे हम ग्राम वासियो को काई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा (पंचायत) का प्रस्ताव संख्या 34 दिनांक 2–11–02 में अंकित है कि–''आम सभा में उपस्थित लोगो ने बताया कि (नया नम्बर) 1612 / 3579 रकबा 2बीघा जो श्री छोटूसिंह पुत्र पदमसिंह राजपूत खरेडा के नाम दर्ज है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि छोटूसिंह ने नाले की आव को छोडकर निर्माण किया है तालाब में पानी की आवक में बाधा नही है। सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया है।'' इस प्रस्ताव के विरूद्ध रिवीजनरस ने सक्षम अधिकारी के समक्ष रिवीजन या अपील नहीं की है। और ग्राम सभा का यह प्रस्ताव फाईनल है जिससे स्पष्ट प्रकट है कि विवादित भूमि पेटा तालाबी की डूब में नहीं है तथा किस्म जमीन पेटा तालाब नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है और सार्वजनिक महत्व की नही है। केवल राजनैतिक द्वेषता वश 6 व्यक्ति समस्त जनता ग्राम खरेडा के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं और उनको समस्त जनता के नाम से निर्वाचित प्रस्ताव के विपरीत रिवीजन पेश करने के लिए अधिकृत नहीं माना जा सकता और वह एग्रीव्ड व्यक्ति नहीं है। और आबादी में सपरिवर्तन के बाद ऐसी भूमि को लगभग 22 साल बाद कथित रिवीजन के जरिये आवंटन सपरिवर्तन को निरस्त कर सिवायचक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत बदलने का आवेदन पेश करने या रिवीजन पेश करने का वैधानिक अधिकार रिवीजनर को नहीं है। सक्षम सिविल न्यायालय में रिवीजनर पक्षकार थे और विवादित भूमि के संबंध में तनकी बनकर पक्षकारान की साक्ष्य के बाद नोनरिवीजनर वादी का दावा डिक्री कर रिवीजनर को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है जिससे प्रकट है कि आवंटन आदेश जिला कलक्टर टोंक के सपरिवर्तन आदेश दिनांक 21–5–99 में मर्ज हो गया है। नॉन रिवीजनरस ने सपरिवर्तन मूल्य की 10000 / –रूपए की कीमत राजकोष में जमा करायी है। रिवीजनर श्री दिनेश जोशी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्षकारान बनाने के लिए रेफरेन्स के नाम से रिट पेश की थी जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनेश जोशी को आवश्यक पक्षकार नहीं माना है बल्कि उसे सुनकर निर्णय देने के लिए निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुसार विचारण न्यायालय ने दिनेश जोशी को सुनवाई का उचित अवसर देकर रिवीजनाधीन आदेश पारित किया है। शेष रिवीजनरस ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश नहीं की थी और शेष रिवजीनरस अतिरिक्त कलक्टर के न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा जानकारी पर पता चला है कि शेष रिवीजनरस ने इस न्यायालय में प्रस्तुत वकालतनामा पर भी रिवीजन के लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा दिनेश जोशी जो गत 15वर्ष से भी अधिक समय से श्री नेमीचन्द चौधरी एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय के यहां मुंशीगिरी करता है और ग्राम खरेडा को छोड चुका है। जैसा कि 2003की संशोधित निर्वाचन नामावली से उसका नाम हट चुका है। जिससे प्रकट है कि श्री दिनेश जोशी को ग्राम जनता खरेडा की ओर से कथित रिवीजन पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिवीजन खारिज किये जाने योग्य है। नियम 14 (4) के अन्तर्गत केवल जिला कलक्टर को तीन ग्राउन्डस पर ही आवंटन निरस्त करने का अधिकार है– फ्राड, मिसरिप्रेजेन्टेशन, नियमों के विपरीत। उक्त आवेदन में यह तीनों ही तथ्य नहीं है। बल्कि राजस्व रिकार्ड में अंकित बन्जड सिवायचक भूमि को पेटा तालाबी की भूमि होना अंकित कर न्यायालय को भ्रमित कर रिवीजन पेश किया गया है। तहसीलदार टोडारायसिंह ने दिनांक 16–3–2000 को क्रम सं0 67 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भी अंकित किया गया है कि खातेदारी श्री छोटूसिंह पुत्र पदमसिंह के नाम दिनांक 5–2–83 को उक्त भूमि नियमन हुई थी जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 की नकल संलग्न है। तथा आगे लिखा है कि ग्राम पंचायत खरेडा द्वारा ही इस सम्बन्ध में एक लिखित पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि श्री छोटूसिंह को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत की गयी है वह आपसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण की गयी है। ग्राम पंचायत भूमि रूपान्तरण से पूर्ण सहमत है। अतः सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शिकायत व्यक्ति रंजिश से किया जाना पाया जाता है। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार का आवेदन नियम 14 (4) आधारहीन है और उसे अस्वीकार करने में अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने किसी भी प्रकार की वैधानिक या क्षेत्राधिकार की भूल नहीं की है। 22साल बाद जिस भूमि में हजारों रूपये निगरानी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गुजार ने निर्माण कार्य में खर्च किये हैं और सपरिवर्तन राशि राजकोष में जमा करायी है उसे अब निरस्त करने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जैसा कि राजस्व मण्डल ने 2001 आरबीजे पेज 558 पर सिद्धांत प्रतिपादित किया है तथा इसी तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी 1999 आरआरडी पेज 128 पर सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिससे स्पष्ट प्रकट है कि कथित रिवीजन धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन आदेश या सपरिवर्तन ओदश को निरस्त नहीं किया जा सकता। अगर रिवीजनर को इसमें कोई आपत्ति थी तो धारा 75 भू राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत अपील पेश करने का अवसर था जिस प्रकरण में अपील का अवसर उपलब्ध है उसमें धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन मेन्टेनेबल नहीं माना गया है। अतः रिवीजन इसी स्टेज पर खारिज की जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन किया गया। अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) को अपने निर्णय दिनांक 15–9–2005 द्वारा अस्वीकार किया है। अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने अपने निर्णय के पेरा संख्या 8 व 9 में यह अंकित किया है कि– ''8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषकगण का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.02.83 को आवण्टित भूमि जिसकी खातेदारी दिये जाने के बाद दिनांक 21.05.99 को आबादी भूमि में संपरिवर्तन किया जा चुका है, के आवण्टन को भू आवण्टन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण में मौका स्थिति के अनुसार भूमि को आवण्टन योग्य नहीं मानते हुए तथा भूमि को जल प्रवाह क्षेत्र में मानते हुए आवण्टन निरस्तरीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवण्टन निरस्तीकरण विचाराधीन रहते हुए आबादी भूमि का मामला मानते हुए जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरूद्ध एक प्रकरण अप्रार्थी छोटू सिंह द्वारा सिविल न्यायालय (क0ख0) टोडारायसिंह में पेश हुआ है जो न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2004 को डिक्री किया जाकर यह आदेशित किया गा है वादग्रस्त आराजी 1612 / 3579 रकबा 0.50 हैक्टेयर के उपभोग तथा निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जावे। इस डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील की गई हो या स्थगतन प्राप्त किया गया हो ऐसा इस पत्रावली में नहीं पाया जाता है। यह सही है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं उच्च न्यायालय ने कई प्रकरणों में यह निर्धारित किया है कि फ्रॉड से या मिसरिप्रजेण्टेशन से हुए आवण्टन खातेदारी के बाद भी खारिज किये जा सकते है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में संपरिवर्तन की कार्यवाही भी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जो भूमि कृषि भूमि नहीं रही है उस भूमि पर भू आवण्टन नियम, 1970 के प्रावधान के तहत जब तक संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रभाव में है कार्यवाही किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि को आबादी भूमि मानने के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचार कर डिक्री की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में धारा 14 (4) आवण्टन नियम के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है लेकिन संपरिवर्तन की कार्यवाही के विरूद्ध अपील या रेफरेन्स या संपरिवर्तन की कार्यवाही के निरस्त होने की स्थिति में लैण्ड होल्डर प्रकरण का परीक्षण कर रेफरेन्स प्रस्तुत करे एवं संपरिवर्तन की कार्यवाही निरस्त होने की स्थिति में नियम 14 (4) के तहत पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है।'' ''9. उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थी को आवण्टित भूमि का संपरिवर्तन हो जाने तथा उसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) पोषनीय नहीं पाया जाता है, अतः इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।'' इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थी छोटू सिंह द्वारा सिविल न्यायालय (क0ख0) टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत वाद दिनांक 8–9–2004 को डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील किया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। ऐसे में तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पोषणीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होने से अस्वीकार करने में अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। इसके साथ ही अतिरिक्त कलक्टर टोंक ने संपरिवर्तन की कार्यवाही के निरस्त होने की स्थिति में भूमिधारक तहसीलदार एवं अन्य प्रार्थीगण को प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम एवं भू आवण्टन अधिनियम में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की है, जो उचित है। हम अतिरिक्त कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–9–2005 से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–9–2005 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	